रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 26 मई, 1997/5 ज्येष्ठ, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

कृषि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जनवरी, 1997

संख्या एग्र० ए० 3 (4)/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश में विधि सहायक (वर्ग-III अराजपत्रित) के पद के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग विधि सहायक (वर्ग-III अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

736-राजपत्र/97-26-5-97—1,249. (1957) मूल्य : 1 रुपया।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.— (i) इस विभाग की अधिसूचना सं0 एग्र0 बी0 (2) 26/76, तारीख 11-5-77 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल (पार्ट-III) लीगल एसिस्टेंट (सर्विस रिक्रूटमैंट, प्रोमोशन एण्ड सरटेन अदर कण्डीशनज आफ सर्विस) रूल्ज, 1977 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

(ii) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

अभय शुक्ला,
आयुक्त एव सचिव ।

"उपाबन्ध-"अ"

कृषि विभाग, में विधि सहायक (अराजपत्रित) (वर्ग-III) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम	विधि सहायक
2.	पदों की सख्या	1 (एक)
3.	वर्गीकरण	वर्ग-III (अराजपत्रित)
4.	वेतनमान	1800-50-2000-60-2060-70-2550-75-3000-100-3200.
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन
6.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	18 से 35 वर्ष : परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त सहित पहले ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी : परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिकवय हो गया हो, वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलिकरण के लिए पात्र नहीं होगा : परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियो के लिए उच्चतम आयु में उतना ही शिथिलिकरण किया जा सकेगा, जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदशों के अधीन अनुज्ञेय है : परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक

सैक्टर नियमों तथा स्वायत निकायों के गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में एसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय हो, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीबृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किये गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/कि गए थे ।

टिप्पणी. 1. सीधी भर्ती क लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जायेगी जिसमें आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, पद विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किए जाते हैं।

टिप्पणी. 2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।

भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विधि की वृतिक उपाधि या इसके समकक्ष और व्यवसायरत्त अधिवक्ता के रूप में 3 वर्ष या सरकारी या अर्धसरकारी संस्थान में कार्य का 5 वर्ष का अनुभव ।

वान्छनीय अर्हताएं :

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रितियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।

आयु : लागू नहीं

शैक्षणिक अर्हताएं : जी हां ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनाधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम अधिकारी विशेष परिस्थितियों और लिखित कारणों से आदेश दें ।

10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा दोनो के न होन पर सीधी भर्ती द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।	लिपिकीय संवर्ग (लिपिकों/वरिष्ठ लिपिकों/कनिष्ठ सहायकों को सम्मिलित करके) के पदधारियों में प्रोन्नति द्वारा जो सतम्भ-7 में विहित अर्हताएं पूर्ण करते हों और जिनका नियमित सेवाकाल या 31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा सहित नियमित सेवाकाल कम से कम 5 वर्ष का हो : परन्तु प्रोन्नति हेतु लिपिकीय संवर्ग के सभी पात्र कर्मचारियों की अनुमोदित सूची तैयार की जाएगी जिसमें से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सामूहिक रूप से पात्र कर्मचारियों से उपर रखा जाएगा तदोपरान्त कम वेतनमान वाले कर्मचारियों को उनसे नीचे रखा जाएगा तथा इसी प्रकार अगली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी (क) उन सभी मामलों में जहां कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-91) को आधार उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार के लिए पात्र हो जाता है। वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार के लिए पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे : परन्त प्रोन्नति के लिए विचार किये जाने वाले सभी पदधारियों को कम से कम तीन वर्ष अर्हताएं सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति में विहित सेवा, जो भी कम हो होनी चाहिए। परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी पर न्युनतम अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ भी ऐसी प्रोन्नति के लिए अपात्र समझा जाएगा। **स्पष्टीकरण**.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

	(ख) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए हिसाब में ली जायगी : परन्त स्थायीकरण के परिणाम स्वरूप 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा को हिसाब में ले कर पारस्परिक ज्येष्ठता, अपरिवर्तित रहगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ।	जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाये।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षा ।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित आवश्यक होना चाहिए :— (क) भारत का नागरिक हो, या (ख) नेपाल की प्रजा, या (ग) भूटान की प्रजा, या (घ) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से आवास के लिए आया हो, या (ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों, कीनिया, यूगांडा, युनाईटिड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पहले तांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मालवा, जेयरे और इथोपिया से भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया है : परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया हो ऐसे अभ्यर्थी को जिनके मामले में पद के आधार पर यदि यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकेगा किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।	सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि यथा-स्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य

	भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।
16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गये अनुदेशों के अधीन होगी ।
17. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो यह कारणों को अभिलिखित करके और लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

[Authoritative English text of Himachal Pradesh Government Notification No. Agr. A (3)-4/87, dated 30-1-1997 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the 30th January*, 1997

No. Agr. A (3)-4/87.—The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Legal Assistant Class-III, (Non-Gazetted) in the Department of Agriculture, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.* (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Agriculture Department, Legal Assistant Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997.

(2) These shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and savings.*—(1) The Himachal Pradesh Agriculture Department Class-III (Part-III) (Legal Assistant) Service (Recruitment, Promotion and certain other conditions of service) Rules, 1977 notified *vide* this Department notification No. Agr. B (2)(26)/76, dated 11th May, 1977 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made, any thing done or any action taken under the repealed rules shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,

AVAY SHUKLA,
Commissioner-cum-*Secretary*.

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF LEGAL ASSISTANT (NON-GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE, HIMACHAL PRADESH

1.	Name of the post	Legal Assistant
2.	Number of posts	1 (One)
3.	Classification	Class-III (Non-Gazetted) Ministerial service
4.	Scale of pay (Be given in expanded notation)	Rs. 1800-50-2000-60-2060-70-2550-75-3000-100-3200.
5.	Whether selection post or non-selection post ?	Non-selection
6.	Age for direct recruitment	Between 18 and 35 years :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis :

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment :

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government :

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently

	appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies. (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be. (2) Age and experiance in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the H. P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	*Essential Qualification*: Should possess a professional Degree in Law or its equivalent from any recognised University in India with 3 years experience as a practising Advocate or 5 years experience while working in Government Institutions. *Desirable Qualifications :* Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees?	*Age* : No *Educational Qualifications* : Yes.
9. Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by promotion failing which by transfer on deputation failing both by direct recruitment.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.	By promotion from amongst the incumbments of the Clerical cadre (including Clerks/Senior Clerks/Junior Assistants subject to fulfilling the educational qualification

prescribed in Col. No. 7 and have atleast 5 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered up to 31-3-1991) service :

Provided that for the purpose of promotion a combined list of all eligible officials shall be prepared wherein the incumbents with higher pay scales shall be placed *en bloc* above the eligible persons and thereafter the incumbents of the next lower pay scales shall be placed below it and so on.

(1) In all cases of promotion, the *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition:—

(i) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-1991) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be *Ex*-servicemen recruited under the provisions of rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder and the provisions of Rules 3 of *Ex*-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services)

		Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
		(2) Similarly in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service:
		Provided that *inter-se*-seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service rendered upto 31-3-1991 shall remain unchanged.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	As may be constituted by the Government from time to time.
13.	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the Law
14.	Essential requirment for a direct recruitment.	A candidate for appointment to any service or post must be :
		(*a*) a citizen of India, or
		(*b*) a subject of Nepal, or
		(*c*) a subject of Bhutan, or
		(*d*) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India,
		(*e*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malwa, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India :
		Provided that a candidate belonging to categories (*b*), (*c*), (*d*) and (*e*) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.
		A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. Selection for appointment to posts by direct recruitment.	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *vivc-voce* test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.
16. Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Power to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.